न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टीए / 2003 / 4745 / धौलपुर.

सरोज शर्मा पत्नी कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चुन्ना का पूरा मजरा सख्वारा तहसील सैपउ जिला धौलपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— ओमप्रकाश,
2— भगवान,
3— पवन कुमार,
4— रामप्रकाश,
समस्त पिसरान जसवंत जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम तसीमो तहसील व जिला धौलपुर।
5— राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री आर. डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

———

उपस्थिति :—

श्री यज्ञदत्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री माधवराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

————

निर्णय **दिनांक :— 16 / 1 / 25.**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या—146 / 2001, बउनवान ओमप्रकाश वगैरह बनाम सरोज शर्मा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23—08—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादीया सरोज ने ग्राम तसीमो तहसील सैपउ स्थित आराजी खसरा संख्या 1424, 1616 व 2039 कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा बाबत् एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा—88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत्

न्यायालय सहायक कलक्टर, धौलपुर के समक्ष पेश किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24–07–2001 द्वारा स्वीकार करते हुए वाद डिक्री कर दिया।

उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23–08–2003 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण पुनः सहायक कलक्टर, धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीया ने निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। योग्य विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद पूर्णतः साबित होने से तनकीवार निर्णय पारित किया गया, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने हस्तक्षेप कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वसीयत के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयत के बिन्दु पर अतिरिक्त तनकी कायम कर इस बाबत् कोई कथन नहीं किया, इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात से विपक्षीगण संतुष्ट थे, इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के अतिरिक्त तनकी कायम कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलीय न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वह प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करते। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का निर्णय तनकीवार नहीं होने से आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है एवं रीजण्ड व स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आने से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–08–2003 को अपास्त किया जाये एवं सहायक कलक्टर, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–7–2001 को बहाल रखा जाये।

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने पृथक से लिखित बहस प्रस्तुत कर उक्त कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि इस प्रकरण में तनकी संख्या 1 बनी है, जिसमें दोनों पक्षों की शहादत हुई है। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने भी वसीयत प्रदर्श ए–1 के संबंध में जबानी शहादत भी दी है। इस प्रकार वसीयत के संबंध में पक्षकारों की शहादत हो चुकी है। जब पक्षकार अपनी शहादत प्रस्तुत कर देता है, चाहे खास तनकी नहीं बनी हो, पक्षकार स्पष्टतः अपनी बात जवाबदावे के अनुसार वसीयत बाबत् शहादत प्रस्तुत कर देता है तो फिर नई तनकी बनाकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत शहादत के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये था, क्योंकि आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के तहत् पक्षकारों की शहादत आ जाने पर नई तनकी बनाकर प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने उक्त कथनों के समर्थन में एआईआर 1993(दिल्ली) 88, एआईआर 1988 (एचसी) 10, एआईआर 1999 (एससी) 1125, आरएलआर 2003 (3) 152, डीएनजे (राज.) 1994(1) 59, आरआरडी 1192 386, डीएनजे (राज.) 1999(2) 658 एवं डीएनजे (राज.) 1999(1) 342 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर ध्यान आकृष्ट करवाया गया।

4– इसके विपरीत अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन रहा कि विवादित आराजी का खातेदार रामनिवास था, जिसका स्वर्गवास हो गया। रामनिवास व प्रत्यर्थीगण की मां रानीवेटी सगे भाई बहिन थे। रामनिवास के संतान के नाम पर केवल एक पुत्री वादीया थी। प्रत्यर्थी की मां रानीवेटी के अंधे हो जाने से रामनिवास अपनी बहिन रानीबेटी तथा ओमप्रकाश व श्रीमति को अपने साथ गांव तसीमो ले आया। तसीमो में ही शेष प्रत्यर्थीगण का जन्म हुआ। इसी बीच अपीलार्थी वादीया की शादी हो गई तथा वह अपने ससुराल गांव चुन्नापुरा चली गई। प्रत्यर्थी उनकी मां व रामनिवास एक साथ ही ग्राम तसीमो में रहते थे तथा प्रत्यर्थी ही वादग्रस्त आराजी को काश्त करते थे तथा रामनिवास की देखभाल करते थे। रामनिवास के गले में केंसर हो गया था उनका ईलाज ग्वालियर में चला था। जब ग्वालियर में भी डाक्टरों ने बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई तो रामनिवास वापस ग्राम तसीमो आ गये। तत्पश्चात् दिनांक 27–5–98 को दोपहर करीब 12 बजे प्रत्यर्थी के हक में स्नेहभाव के कारण वसीयत तहरीर कराई

गई। उसी दिन सांयकाल रामनिवास की मृत्यु हो गई। रामनिवास का दाग प्रत्यर्थी पवन ने दिया तथा उसकी तेहरवी इत्यादि की रस्म भी प्रत्यर्थी ने की। इसके बाद दाखिल खारिज के लिये पंचायत को दी गई। पंचायत ने पूर्ण जांच के बाद प्रत्यर्थीगण के पक्ष में दाखिल खारिज खोला। अपीलार्थीया कुछ लोगों के बहकावे में आकर विवादित आराजी को हड़पना चाहती है। इसी नियत से अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का न तो कोई अवलोकन किया एवं ना ही उसका विवेचन किया। केवल मामूली डिस्क्रेपैन्सीयस के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य मानते हुए एवं वसीयत व हस्ताक्षर की स्याही में अंतर होने के कारण वसीयत को संदेहास्पद मानने में गंभीर कानूनी त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के रामनिवास की मृत्यु के समय विवाद मानने एवं रामनिवास की सोचने व समझने की शक्ति न होना मानने में भारी भूल कारित की है। जबकि योग्य अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों का ध्यान रखते हुए वसीयत के संबंध में स्वतंत्र तनकी कायम करते हुए उभय पक्षों को साक्ष्य का मौका दिया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि नहीं है। अंत में प्रस्तुत अपील सारहीन होना बताते हुए इसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

5— उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है अपीलार्थी वादीया श्रीमति सरोज शर्मा द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), धौलपुर के समक्ष प्रत्यर्थी प्रतिवादी के विरूद्ध ग्राम तसीमों तहसील सेंपउ स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 1424, 1616, 2039 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जिसका प्रत्यर्थी प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रकरण में कुल 06 तनकीयात कायम की गई, जिस पर वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.

ड. 1 स्वयं वादीया सरोज, पी.ड. 2 महावीर प्रसाद, पी.ड. 3 जगन्नाथ, पी.ड. 4 कन्हैयालाल की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी संवत् 2054–57, प्रदर्श–2 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2054–57 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। इसके विरूद्ध प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.ड. 1 प्रतिवादी ओमप्रकाश, डी.ड. 2 रामगोपाल की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 असल वसीयतनामा प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों की बहस सुनकर तनकीवार निर्णय दिनांक 24–7–2001 को पारित करते हुए अपीलार्थी वादीया का वाद डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तनकी संख्या–1 प्रकरण में महत्वपूर्ण तनकी है, जिसे सिद्ध करने का भार वादीया पर अधिरोपित था। योग्य विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 के संबंध में अपना विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत को संदेहास्पद होना मानते हुए वादीया सरोज को रामनिवास की विधिक उत्तराधिकारी माना है तथा इस आधार पर तनकी संख्या–2 लगायत 5 वादीया के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध तय करते हुए वादीया अपीलार्थीया को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दी।

7– उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–7–2001 को अपास्त करते हुए प्रकरण में अतिरिक्त तनकी कायम कर प्रकरण पुनः उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत् निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान किया गया।

8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के मध्य मुख्य विवाद रामनिवास की विवादित भूमि के खातेदारी अधिकारों को लेकर है, जिसमें एक तरह जहां अपीलार्थी वादीया रामनिवास की एकमात्र पुत्री होने से अपने पिता की विवादित भूमि की खातेदारी की घोषणा चाह रही है, वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मृतक रामनिवास द्वारा उनके हक में वसीयतनामा

दिनांक 27–05–1998 को निष्पादित कर उन्हें विवादित भूमि का वारिस एवं लिगेटी होने का अभिकथन किया गया है। इस प्रकार उभय पक्षों के मध्य मुख्य विवाद भूमि के वसीयतनामा दिनांक 27–05–1998 को लेकर है। यह सही है कि योग्य विचारण न्यायालय ने वसीयतनामा दिनांक 27–05–1998 को संदेहास्पद माना है, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा वसीयतनामा दिनांक 27–05–1998 की वैधता के संबंध में प्रकरण में कोई पृथक से तनकी कायम नहीं की गई, जबकि योग्य विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह प्रकरण में तथाकथित वसीयत की वैधता के संबंध में तनकी कायम करते हुए इस पर उभय पक्षों की साक्ष्य के आने के उपरांत अपना निष्कर्ष देते, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से प्रकरण में वसीयतनामा दिनांक 27–5–98 के संबंध में निम्न अतिरिक्त तनकी कायम की गई– ''आया मृतक रामनिवास द्वारा दिनांक 27–5–98 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हक में वसीयत निष्पादित की गई?'' उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर अधिरोपित किया गया है, जबकि योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में ऐसी कोई तनकी कायम नहीं की गई, जिसके अभाव में प्रतिवादी पक्ष अपनी साक्ष्य योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाये, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने वसीयतनामा दिनांक 27–5–98 के संबंध में आवश्यक तनकी कायम करते हुए प्रकरण पुनः योग्य विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि नहीं पाते है।

9– हालांकि अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा है कि आदेश 14 नियम 1 जाब्ता दीवानी के तहत् पक्षकारों की शहादत आ जाने पर नई तनकी बनाकर प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता तथा इस संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित राजस्व प्रकरण है, जिसमें मृतक रामनिवास के विधिक उत्तराधिकार के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जानी है, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से

सुभिन्न होने से पूर्णतः चस्पा नहीं होते है तथा अपीलार्थीया इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में वसीयतनामा के निष्पादन की वैधता का प्रश्न है जो अत्यधिक जटिल प्रश्न होकर तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है, जिसे उभय पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही गुणावगुण पर विनिश्चय किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में पृथक से अतिरिक्त तनकी कायम करते हुए प्रकरण उभय पक्षों की साक्ष्य ली जाकर एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु योग्य विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है। अतएव हस्तगत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

10— परिणामतः हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23—08—2003 की पुष्टि की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य